

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़, देहरादून -248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
election09@gmail.com

फोन न० (0135) - 2713760, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2713724

संख्या- 137 /XXV -97 /2022

देहरादून :

दिनांक

27 जनवरी, 2023

दिनांक 27 जनवरी, 2023 को अपरान्ह 03:00 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक का एजेण्डा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या-23/2022-ERS(Vol.II) दिनांक 25 जुलाई, 2022 के द्वारा विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम नियत करते हुए पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों से निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन और अंतिम प्रकाशन तक की गतिविधियों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए थे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य सहित तीन अन्य राज्यों में SSR-2023 से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही Pilot Project के रूप में ERO Net 2.0 एवं BLO App के माध्यम से सम्पादित किये जाने में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत असम, बिहार, गोवा व उत्तराखण्ड राज्य में अन्तिम प्रकाशन की तिथि विस्तारित करते हुए दिनांक 27 जनवरी, 2023 (शुक्रवार) नियत की गयी है।

आयोग द्वारा अन्तिम रूप से संशोधित पुनरीक्षण का कार्यक्रम निम्न प्रकार है:-

Revision Activities			
S.No.	Activity	Period	last revised date
1.	Publication of Integrated draft electoral roll.	09.11.2022 (Wednesday)	09.11.2022 (Wednesday)
2.	Period for filing claims & objections	09.11.2022 (Wednesday) to 08.12.2022 (Thursday)	09.11.2022 (Wednesday) to 08.12.2022 (Thursday)
3.	Special campaign dates	19.11.2022 (Saturday) 20.11.2022 (Sunday) 03.12.2022 (Saturday) 04.12.2022 (Sunday)	19.11.2022 (Saturday) 20.11.2022 (Sunday) 03.12.2022 (Saturday) 04.12.2022 (Sunday)
4.	Disposal of claims and objections	By 26.12.2022(Monday)	By 10-01-2023 (Tuesday)
5.	(i) Checking of health parameters and obtaining Commission's permission for final publication (ii) Updating database and printing of supplements	By 03.01.2023(Tuesday)	By 14-01-2023 (Saturday)
6.	Final publication of electoral roll	05.01.2023 (Thursday)	27-01-2023 (Friday)

1. जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित आलेख्य निर्वाचक नामावली के संबंध में प्रमुख बिन्दु/सांख्यिकीय आकड़े :-

Name of District	General Electors as per Draft roll 01.01.2023				Service Electors Draft roll 01.01.2023			Polling Stations		
	Male	Female	TG	Total	Male	Female	Total	Rural	Urban	Total
Uttarkashi	121370	114840	1	236211	3317	60	3377	32	507	539
Chamoli	151334	144764	2	296100	10179	161	10340	66	508	574
Rudraprayag	95105	97053	0	192158	5285	52	5337	21	340	361
Tehri	268890	254381	3	523274	5663	73	5736	63	888	951
Dehradun	779382	709546	76	1489004	9372	457	9829	1188	685	1873
Haridwar	751156	664453	139	1415748	2066	129	2195	615	1101	1716
Pauri	291347	278833	10	570190	15796	247	16043	197	747	944
Pithoragarh	187916	186722	2	374640	14166	407	14573	59	540	599
Bageshwar	109546	106207	0	215753	4514	111	4625	23	353	376
Almora	272626	259177	2	531805	7042	212	7254	60	851	911
Champawat	105885	96764	0	202649	2989	113	3102	33	300	333
Nainital	399959	365289	12	765260	5176	272	5448	395	610	1005
USNagar	663964	608688	44	1272696	5712	295	6007	653	812	1465
Total-	4198480	3886717	291	8085488	91277	2589	93866	3405	8242	11647

2. 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 27 जनवरी, 2023 को अन्तिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली के संबंध में प्रमुख बिन्दु/सांख्यिकीय आकड़े :-

Name of District	General Electors as per Draft roll 01.01.2023				Service Electors Draft roll 01.01.2023			Polling Stations		
	Male	Female	TG	Total	Male	Female	Total	Rural	Urban	Total
Uttarkashi	123527	117304	1	240832	3314	59	3373	32	507	539
Chamoli	152289	145689	2	297980	10181	159	10340	66	508	574
Rudraprayag	96566	98533	0	195099	5288	53	5341	21	340	361
Tehri	271931	257875	3	529809	5681	74	5755	63	888	951
Dehradun	782230	714845	75	1497150	9404	457	9861	1188	685	1873
Haridwar	757608	671883	139	1429630	2104	132	2236	615	1101	1716
Pauri	293017	280914	10	573941	15823	248	16071	197	747	944
Pithoragarh	189197	187801	3	377001	14147	407	14554	59	540	599
Bageshwar	110804	107387	0	218191	4524	113	4637	23	353	376
Almora	273984	260310	3	534297	7049	213	7262	60	851	911
Champawat	106674	97463	0	204137	2991	113	3104	33	300	333
Nainital	404874	371366	12	776252	5164	270	5434	395	610	1005
USNagar	673252	619950	47	1293249	5697	297	5994	653	812	1465
Total-	4235953	3931320	295	8167568	91367	2595	93962	3405	8242	11647

2.1- विभिन्न आयुवर्गवार निर्वाचकों का विवरण:-

Age Cohort	Male	Female	TG	Total
18-19	66314	52008	8	118330
20-29	906359	773254	102	1679715
30-39	1191346	1043190	75	2234611
40-49	851959	802058	46	1654063
50-59	586662	573315	37	1160014
60-69	367329	376067	19	743415
70-79	195148	219001	6	414155
80+	70836	92427	2	163265
Total	4235953	3931320	295	8167568

3. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत दिनांक 09 नवम्बर, 2022 से 08 दिसम्बर, 2022 तक जनपदवार परिवर्धन एवं विलोपन का विवरण :-

Name of District	General Electors as per Draft roll 01.01.2023				Total Addition since 09.11.2022 to 08.12.2022				Total Deletion since 09.11.2022 to 08.12.2022			
	M	F	TG	Total	M	F	TG	Total	M	F	TG	Total
Uttarkashi	121370	114840	1	236211	3520	4151	0	7671	1363	1687	0	3050
Chamoli	151334	144764	2	296100	2554	2819	0	5373	1599	1894	0	3493
Rudraprayag	95105	97053	0	192158	2053	2281	0	4334	592	801	0	1393
Tehri	268890	254381	3	523274	3849	4558	0	8407	808	1064	0	1872
Dehradun	779382	709546	76	1489004	9452	10767	0	20219	6604	5468	1	12073
Haridwar	751156	664453	139	1415748	9273	10853	1	20127	2821	3423	1	6245
Pauri	291347	278833	10	570190	5378	5696	0	11074	3708	3615	0	7323
Pithoragarh	187916	186722	2	374640	2234	2249	1	4484	953	1170	0	2123
Bageshwar	109546	106207	0	215753	2084	2283	0	4367	826	1103	0	1929
Almora	272626	259177	2	531805	3502	3808	1	7311	2144	2675	0	4819
Champawat	105885	96764	0	202649	1464	1478	0	2942	675	779	0	1454
Nainital	399959	365289	12	765260	6828	8196	0	15024	1913	2119	0	4032
USNagar	663964	608688	44	1272696	10452	12672	4	23128	1164	1410	1	2575
Total-	4198480	3886717	291	8085488	62643	71811	7	134461	25170	27208	3	52381

4. 18-19 आयुवर्ग के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का लक्ष्य:-

Name of District	Eligible Electors (18-19 Population-2023)			Registered Electors (Final Electors 18-19)			GAP (Eligible - Registered)		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Uttarkashi	7144	6560	13704	3255	2656	5911	3889	3904	7793
Chamoli	7775	7208	14983	3286	2575	5861	4489	4633	9122
Rudraprayag	5005	4676	9681	2356	1759	4115	2649	2917	5566
Tehri	13090	12090	25180	5366	4495	9861	7724	7595	15319
Dehradun	31322	27293	58615	9594	7887	17481	21728	19406	41134
Haridwar	43034	37829	80863	8883	6484	15367	34151	31345	65496
Pauri	13005	12109	25114	5656	4456	10112	7349	7653	15002
Pithoragarh	9620	8331	17951	3416	2442	5858	6204	5889	12093
Bageshwar	4867	4760	9627	2239	1838	4077	2628	2922	5550
Almora	11646	11201	22847	4512	3444	7956	7134	7757	14891
Champawat	5685	5097	10782	2168	1580	3748	3517	3517	7034
Nainital	18656	16980	35636	5244	4281	9525	13412	12699	26111
USNagar	35818	31956	67774	10339	8119	18458	25479	23837	49316
Total-	206667	186090	392757	66314	52016	118330	140353	134074	274427

उपरोक्तानुसार 18-19 आयुवर्ग की Projected Population के सापेक्ष अब अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान 18-19 आयुवर्ग के कुल 2,74,427 युवाओं के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का लक्ष्य है।

विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान 18-19 आयुवर्ग के 42,247 युवाओं के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए गये।

5. उत्तराखण्ड राज्य में Census Gender Ratio 953 एवं Elector Gender Ratio 928 है इस प्रकार कुल 25 का Gender Gap है। जनपदवार Gender Gap का विवरण निम्न प्रकार है:-

Sr. No.	Name of District	Gender Ratio as per Projected Census Population	Elector Gender Ratio as per Draft Roll 2023	Elector Gender Ratio as per Proposed final Roll 2023	Gender Gap (Census – Proposed Final Roll)
Uttarakhand		953	926	928	25
1	Uttarkashi	958	946	950	8
2	Chamoli	1019	957	957	62
3	Rudraprayag	1114	1020	1020	94
4	Tehri Garhwal	1077	946	948	129
5	Dehradun	902	910	914	-12
6	Haridwar	880	885	887	-7
7	Pauri Garhwal	1103	957	959	144
8	Pithoragarh	1020	994	993	27
9	Bageshwar	1090	970	969	121
10	Almora	1139	951	950	189
11	Champawat	980	914	914	66
12	Nainital	934	913	917	17
13	Udhamsinghnagar	920	917	921	-1

6. उत्तराखण्ड राज्य का EP Ratio (अर्थात प्रतिहजार जनसंख्या पर पंजीकृत निर्वाचकों की कुल संख्या)

आलेख्य निर्वाचक नामावली में	अन्तिम निर्वाचक नामावली में
Male = 703 (70.30%)	Male = 709 (70.90%)
Female = 683 (68.30%)	Female = 691 (69.10%)
Total = 693 (69.30%)	Total = 700 (70.00%)

7. निर्वाचक नामावली में आधार प्रमाणीकरण की प्रगति:-

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 तक शत-प्रतिशत निर्वाचकों के आधार एकत्र करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। वर्तमान में राज्य के अन्तर्गत 68.91% निर्वाचकों का निर्वाचक नामावली में आधार प्रमाणीकरण का कार्य ही अभी तक पूर्ण हुआ है जिसका जनपदवार विवरण निम्न प्रकार है:-

Name Of District	Total Electors as per Draft Roll as on 01.01.2023	Total Aadhar Collection till now	% Of Aadhar Collection	Target Till March, 2023	% Of Targete
1	2	3	4	5	6
उत्तरकाशी	240832	196515	81.60	44317	18.40
चमोली	297980	234980	78.86	63000	21.14
रूद्रप्रयाग	195099	151819	77.82	43280	22.18
टिहरी गढ़वाल	529809	408669	77.14	121140	22.86
देहरादून	1497150	775109	51.77	722041	48.23
हरिद्वार	1429630	929268	65.00	500362	35.00
पौड़ी गढ़वाल	573941	426420	74.30	147521	25.70
पिथौरागढ़	377001	291827	77.41	85174	22.59
बागेश्वर	218191	172831	79.21	45360	20.79
अल्मोड़ा	534297	367904	68.86	166393	31.14
चम्पावत	204137	147248	72.13	56889	27.87
नैनीताल	776252	521526	67.19	254726	32.81
ऊधमसिंह नगर	1293249	1004069	77.64	289180	22.36
योग-	8167568	5628185	68.91	2539383	31.09

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन विधि(संशोधन) अधिनियम-2021 के अधीन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के सुसंगत नियमों में दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना के द्वारा परिवर्तन/संशोधन करते हुए निर्वाचक नामावली प्रमाणीकरण के लिए स्वैच्छिक आधार पर सभी निर्वाचकों से आधार संग्रह किए जाने हेतु नया प्रारूप-6ख जारी किया गया है।

- (i) वर्तमान निर्वाचक एवं निर्वाचक नामावली में पंजीकरण की मांग करने वाले प्रत्येक नागरिक द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-23 में किए गए संशोधन सम्मिलित हैं।
- (ii) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के नियम-26बी में निहित प्राविधानों के अनुसार जिस व्यक्ति का नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है वह अधिनियम की धारा-23बी की उपधारा (5) के अनुसार प्रारूप-6बी में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अपनी आधार संख्या की सूचना दे सकता है। यह प्राविधान दिनांक 01 अगस्त, 2022 से लागू हो गए हैं।
- (iii) कार्यक्रम का उद्देश्य:- धारा-23 में संशोधन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वर्तमान निर्वाचकों से आधार संख्या संग्रह करने का उद्देश्य निर्वाचकों की पहचान स्थापित करना और निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण तथा एक ही व्यक्ति के नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार के पंजीकरण की पहचान करना है।
- (iv) आधार प्रमाणीकरण की पद्धति:-
 - a) वर्तमान निर्वाचक फार्म-6ख भरकर पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म को अपने क्षेत्रीय बीएलओ या संबंधित उप जिलाधिकारी/तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर भी फार्म-6ख वितरित/संग्रहीत किए जाएंगे।
 - b) फार्म-6ख सभी बीएलओ/उप जिलाधिकारी/तहसील कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध हैं। फार्म-6ख भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड की विभागीय वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in से हिन्दी अथवा अंग्रेजी में डाउनलोड किया जा सकता है।

c) फार्म-6ख भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.nvsp.in और Voter Help Line App (VHA) के माध्यम से (जैसी भी सुविधा हो) भी भरा जा सकता है। ऑनलाईन दो तरीकों से भरा जा सकता है :-

1. **स्वप्रमाणन के साथ:-** मतदाता पोर्टल/एप पर ऑनलाईन फार्म-6ख भर सकता है और UIDAI में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर ओटीपी का उपयोग करके आधार को प्रमाणित कर सकता है,
2. **स्व प्रमाणीकरण के बिना:-** यदि कोई निर्वाचक स्वयं प्रमाणित नहीं करना चाहता है या स्वयं प्रमाणीकरण में विफल रहता है तो निर्वाचक प्रमाणीकरण के बिना आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म-6ख ऑन लाईन जमा कर सकता है।

d) **ऑफलाईन फार्म-6ख प्रस्तुत करना:-**

- ✓ जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्यक संख्या में स्थानीय स्तर पर फार्म-6ख (हिन्दी/अंग्रेजी में) मुद्रित कराकर सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- ✓ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त बी.एल.ओ. को आवश्यक संख्या में फार्म-6ख आवंटित करते हुए निर्देशित करेंगे कि प्रत्येक बी.एल.ओ. अपने-अपने मतदेय स्थल के अन्तर्गत पंजीकृत शतप्रतिशत निर्वाचकों से फार्म-6ख प्राप्त कर गरुड़ा एप अथवा ई.आर.ओ. नेट के माध्यम से (जैसी भी सुविधा हो) फार्म प्राप्त के 7 दिन के भीतर डिजिटाइज्ड कराना सुनिश्चित करेंगे।
- ✓ आधार संग्रह हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि/ विशेष अभियान तिथियों में शिविर आयोजित कर आधार संग्रह करने की कार्यवाही पर बल दिया जाएगा।
- ✓ किसी भी निर्वाचक द्वारा अपना आधार प्रस्तुत करना **स्वैच्छिक है**। यदि किसी निर्वाचक के पास आधार नहीं है और वह अपना आधार प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे निर्वाचकों से फार्म-6ख में उल्लिखित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी भी एक की प्रति जमा करने का अनुरोध किया जाएगा।
- ✓ किसी भी निर्वाचक का नाम इस आधार पर निर्वाचक नामावली से हटाया नहीं जाएगा कि वह अपना आधार संख्या सूचित करने में असमर्थ रहा है।

8- निर्वाचक नामावली में दिव्यांग (PwD) मैपिंग की स्थिति:-

Name Of District	PwD Pensioners in the District as on date	Total PwD Electors as per Final Roll as on 01.01.2023	Difference PwD marking in Eroll.
1	2	3	4
उत्तरकाशी	4114	3198	916
चमोली	3126	2996	130
रुद्रप्रयाग	2404	2091	313
टिहरी गढ़वाल	7557	6797	760
देहरादून	11085	9492	1593
हरिद्वार	11384	9232	2152
पौड़ी गढ़वाल	6857	4876	1981
पिथौरागढ़	3272	3193	79
बागेश्वर	2859	2671	188
अल्मोड़ा	6575	5394	1181
चम्पावत	2539	2412	127
नैनीताल	6169	5598	571
ऊधमसिंह नगर	11387	11456	-69
योग-	79328	69406	9922

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 एवं 1951 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 में संशोधन के फलस्वरूप अब निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रत्येक वर्ष में चार अर्हता तिथियां नियत की गयी है (01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर)

- ✓ पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 01 अप्रैल, 2023, 01 जुलाई, 2023 एवं 01 अक्टूबर, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर प्राप्त फार्म-6, 6क, 7 एवं 8 का सभी ERO के द्वारा इन अर्हक तिथियों के पश्चात ही नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा और तदनुसार ही ऐसे आवेदनों के सापेक्ष किसी नागरिक का नाम नामावली में सम्मिलित किया जाएगा, या किसी नाम को हटाया जाएगा और किसी प्रविष्टि को संशोधित/स्थानान्तरित किया जा सकेगा आदि...
- ✓ कोई भी अर्ह नागरिक जो 01 अप्रैल, 2023, 01 जुलाई, 2023 एवं 01 अक्टूबर, 2023 की अर्हता तिथि को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहा है, निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान प्रारूप-6 पर अपना आवेदन अग्रिम में प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे किसी भी नागरिक को पूरे वर्ष प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।
- पुनः यह भी अवगत कराना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम में उक्तानुसार संशोधन के फलस्वरूप फार्म-6, 7, 6ख एवं 8 में भी संशोधन हुआ है और उक्त संशोधित प्रारूप 01 अगस्त, 2022 से प्रभावी हो गए हैं। संशोधित फार्मों का उपयोग निम्न प्रकार किया जाएगा:-
 - फार्म-6 प्रथमबार किसी अर्ह नागरिक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए आवेदन।
 - फार्म-6ख, निर्वाचक नामावली प्रमाणन के लिए आधार नम्बर की सूचना प्रदान करना (स्वैच्छिक)
 - फार्म-7 विद्यमान निर्वाचक नामावली से किसी नाम को हटाने या निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने प्रस्ताव पर आक्षेप के लिए आवेदन।
 - फार्म-8
 - विद्यमान निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अशुद्धि को शुद्ध कराने के लिए,
 - मतदाता फोटो पहचान पत्र बदलने के लिए,
 - PwD Mark करने के लिए,
 - निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अथवा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर निवास परिवर्तन होने के फलस्वरूप पता बदलने के लिए आवेदन।
- ✓ यह भी स्पष्ट करना है कि, विद्यमान निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किसी भी निर्वाचक को एक बूथ से किसी दूसरे बूथ में या एक निर्वाचन क्षेत्र से किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में अपना नाम स्थानान्तरित करवाने के लिए फार्म-6 या फार्म-7 भरने की आवश्यकता नहीं है ऐसे किसी भी निर्वाचक को अब केवल फार्म-8 में ही नियमानुसार आवेदन करना होगा।

- ✓ उत्तराखण्ड राज्य की सभी 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार अन्तिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली (सर्विस निर्वाचक नामावली सहित) सभी 11647 मतदेय स्थलों, ERO & AERO कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालय सहित विभागीय वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर भी सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उपलब्ध है।
- ✓ मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों को भी आलेख्य निर्वाचक नामावली की दो-दो प्रति (एक हार्ड कॉपी एवं एक साफ्टकॉपी सर्विस निर्वाचक नामावली सहित) संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। मुख्यालय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रदेश पदाधिकारियों को आलेख्य निर्वाचक नामावली की साँफ्ट कॉपी आज बैठक में उपलब्ध करायी गयी है। आलेख्य निर्वाचक नामावली की साँफ्ट कॉपी के साथ :-
 - वर्तमान मतदेय स्थलों की सूची की साँफ्ट कॉपी एवं
 - सर्विस निर्वाचक नामावली की साँफ्ट कॉपी भी उपलब्ध करायी गयी।
- 9. समस्त राजनैतिक दलों से राज्य की सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के 11647 मतदेय स्थलों पर शीघ्राति-शीघ्र BLA नियुक्त करने का आग्रह है और नियुक्त किए गए BLA की सूची संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय (उप जिलाधिकारी कार्यालय) को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध है। आतिथि तक किसी भी राजनैतिक दल से BLA नियुक्त किए जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि एक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा नियुक्त BLA तब तक BLA के रूप में कार्य करता रहेगा, जब तक कि उसकी नियुक्ति को संबंधित राजनैतिक दल द्वारा रद्द नहीं किया जाता है।
- 10. राजनैतिक दलों अनुरोध है कि राज्य के शत-प्रतिशत अर्ह नागरिकों के नाम नियमानुसार निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने, तथा विधान सभा निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाए रखने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में अपने बूथ/ब्लॉक/मण्डल/तहसील/जनपद स्तरीय कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम से अवगत कराते हुए यथा अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

दिनांक 27 जनवरी, 2023

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।